आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
27/1/2015	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 75/11** **जगनाथ प्रसाद यादव बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 1780/गो0 दिनांक 28.9.11 के विरूद्व दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का सक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 11.9.11 को अपराह्न 12.45 वजे अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मढ़ौरा के द्वारा जगनाथ प्रसाद यादव, जन वितरण प्रणाली विकेता, अनुज्ञप्ति सं0 104/07, पंचायत–अवांरी, थाना–मढ़ौरा, प्रखंड–मढ़ौरा की दूकान की जॉच की गयी। जॉच के कम में निम्नांकित अनियमितताऍ पायी गयी: 1. दूकान से संबंधित सूचनापट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित [illegible] संधारित नहीं था। 2. अन्त्योदय एव बी.पी.एल भंडार पंजी में गेहूँ एवं चावल का योग कर भंडार प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार वितरण पंजी में भी गेहूँ एवं चावल का योग कर वितरण पंजी में प्रदर्शित किया गया है। 3. विकेता की दूकान में किरासन तेल का मापक उपलब्ध नहीं पाया गया/न [illegible]	

खाद्यान्न तौलने का बाट ही निरीक्षण के समय दिखाया गया।

4. जॉच पदाधिकारी को सम्बद्व उपभोक्ताओं की सूची प्रस्तुत नहीं किया जाना।

उक्त अनियिमतताओं के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 1609/गो0 दिनांक 11.9.11 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी जिसमें विक्रेता को निदेश दिया गया कि दिनांक 13.9.11 को अपराह्न 2.00 बजे सभी कागजातों यथा, बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय माह का अगस्त 2011 के पूर्व का / चीनी के स्टॉक पंजी/ वितरण पंजी/ उपभोक्ताओं से प्राप्त कूपन/ कैशमेमो/ प्रखंड कार्यालय, मढौरा से प्राप्त उपभोक्ता की सत्यापित्त प्रति मूल प्रति के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि अपीलकर्त्ता के द्वारा सूचनापट्ट सही तरीके से संधारित किया गया था। गहूँ तथा चावल को अन्त्योदय एवं बी.पी.एल. भंडार पंजी में एवं वितरण पंजी मे अलग–अलग दर्शाया गया है। अपीलकर्त्ता की दूकान में मापक मौजूद था। बिना मापक के वितरण कार्य संभव नहीं हो सकता है। इसलिए मापक नहीं रहने का आरोप गलत है। चूँकि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा उपभोक्ता सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी थी, इसलिए उपभोक्ता सूची प्रस्तुत नहीं की गयी। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख में रक्षित कागजातों का परिसीलन किया गया।

	परिसीलनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश में कई कमियाँ दृष्टिगोचर हो रही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपीलकर्त्ता के विरूद्व गंभीर आरोप नहीं लगाए गए हैं। अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा कुछ कमियाँ पायी गयी हैं, लेकिन इससे संबंधित कोई भी द्वितीय कारणपृच्छा अपीलार्थी से नहीं की गयी एवं अपीलार्थी के द्वारा समर्पित कागजातों में पायी गयी अनियमितताओं को आधार बनाकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी, जो प्राकृतिक न्याय के विपरित प्रतीत होती है। ऐसे में इस मामले को पुनः जाँचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है। वाद निष्पादित। लेखापित एवं संशोधित जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा	

ज्ञापांक 54 मुल्र दिनांक 29/01/2015

प्रतिलिपिः—अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा को निम्न न्यायालय का अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा,सारण,छपरा।

29/1/15